रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2012/चैत्र 28, 1934
No. 172] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2012/CHAITRA 28, 1934

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2012

**सा.का.नि. 298 ( अ ).**—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की अनुसूची XIV में अतिरिक्त परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

कंपनी अधिनियम, 1956 अनुसूची-XIV में क्रम सं. IV जो जहाजों और उससे संबंधित प्रविष्टियां हैं, के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"V-अमूर्त अस्तियां

1. अमूर्त अस्तियां (टोल रोड) जो निर्माण, प्रचालन और अंतरण, निर्माण स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण के अधीन या लोक निजी भागीदारी के किसी अन्य मार्ग से सृजित की गई हैं।

क्रमिक अपाकरण दर = <u>क्रमिक अपाकरण राशि x100</u>
अमूर्त अस्ति (ए) की लागत

क्रमिक अपाकरण राशि =

वर्ष (बी) का कुल राजस्व

अमूर्त अस्ति (ए) की लागत X ---------------------------

अमूर्त अस्ति से प्रक्षेपित राजस्व
(रियायती अवधि के अंत तक) (सी)

2. विशिष्टियों के अर्थ निम्न हैं:-

अमूर्त अस्ति (ए) की लागत = लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की गई लागत

वर्ष (बी) के लिए कुल राजस्व = लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक राजस्व (टोल प्रभार)

अमूर्त अस्ति (सी) से प्रक्षेपित राजस्व = वित्तीय समापन/करार के समय परियोजना प्रदाता को प्रदान किए गए अमूर्त अस्ति से कुल प्रक्षेपित राजस्व

क्रमिक अपाकरण की राशि या दर यह अभिनिश्चित करेगी कि संपूर्ण अमूर्त अस्ति की लागत का अपाकरण रियायती अवधि पर हो।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल राजस्व पुनरीक्षित होगा और प्रक्षेपित राजस्व प्राक्कलन में किन्हीं परिवर्तनों के उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाएगा जो रियायती अवधि के अंत में वास्तविक राजस्व संग्रहण कर सकेगा।

3. उदाहरण के लिए

अमूर्त अस्तियों के सृजन की लागत : 500 करोड़ रुपए

करार की कुल अवधि : 20 वर्ष

अमूर्त अस्तियों के सृजन में प्रयुक्त समय : 02 वर्ष

अमूर्त अस्तियों के क्रमिक अपाकरण काल : 18 वर्ष

तत्काल यह धारित किया जाए कि निम्नलिखित प्रकार से अमूर्त अस्तियों से समय पर कुल उत्पन्न राजस्व 600 करोड़ रुपए होगा।

| वर्ष सं. | राजस्व (करोड़ रुपए में) | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| वर्ष 1 | 5 | वास्तविक |
| वर्ष 2 | 7.5 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 3 | 10 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 4 | 12.5 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 5 | 17.5 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 6 | 20 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 7 | 23 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 8 | 27 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 9 | 31 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 10 | 34 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 11 | 38 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 12 | 41 | प्राक्कलन* |

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष 13 | 46 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 14 | 50 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 15 | 53 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 16 | 57 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 17 | 60 | प्राक्कलन* |
| वर्ष 18 | 67.5 | प्राक्कलन* |
| कुल | 600 | |

*वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक होगा।

इस पर आधारित प्रथम वर्ष के लिए प्रभार 4.16 करोड़ रुपए (लगभग) {अर्थात् 5 रुपए/600 रुपएx500 करोड़ रुपए) जो लाभ और हानि के लिए प्रभारित होगी और 0.83% (अर्थात् 4.16 करोड़ रुपए/500 करोड़ रुपएx100) प्रथम वर्ष के लिए क्रमिक अपाकरण की दर होगी।

[फा. सं. 17/292/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV को निम्नलिखित पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया ता, अर्थात्:-

(i) सा.का.नि. 416(अ), दिनांक 14 मई, 1993;
(ii) सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 1993;
(iii) सा.का.नि 788(अ), दिनांक 4 नवंबर, 1994;
(iv) सा.का.नि. 101(अ) दिनांक 1 मार्च, 1995;
(v) सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 18 अगस्त, 1998;
(vi) सा.का.नि. 880(अ), दिनांक 14 दिसंबर, 2011 ।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2012

**G.S.R. 298(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in the Schedule XIV of the said Act, namely :—

**In Schedule XIV to the Companies Act, 1956, after serial number IV relating to Ships and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-**

"**V- Intangible Assets**

1. Intangible Assets (Toll Road) created under Build, Operate and Transfer, Build, Own, Operate and Transfer or any other form of Public Private Partnership Route.

$$\text{Amortization Rate} = \frac{\text{Amortization Amount}}{\text{Cost of Intangible Asset (A)}} \times 100$$

$$\textbf{Amortization Amount} = \text{Cost of Intangible Asset (A)} \times \frac{\text{Actual Revenue for the year (B)}}{\text{Projected Revenue from Intangible Asset (till the end of the concession period) (C)}}$$

2. **Meaning of particulars are as follows:-**

| | | |
|---|---|---|
| Cost of Intangible Asset (A) | = | Cost incurred by the Company in accordance with the Accounting Standards. |
| Actual Revenue for the year (B) | = | Actual Revenue (Toll Charges) received during the accounting year. |
| Projected Revenue from Intangible Asset (C) | = | Total Projected Revenue from the Intangible Asset as provided to the Project Lender at the time of financial closure/agreement. |

The amortization amount or rate should ensure that the whole of the cost of the intangible asset is amortized over the concession period.

Total Revenue shall be reviewed at the end of each financial year and the projected revenue shall be adjusted to reflect any changes in the estimate which will lead to the actual collection at the end of the concession period.

3. For Example:-

| | | |
|---|---|---|
| Cost of creation of Intangible Assets | : | Rs. 500/- Crores |
| Total period of Agreement | : | 20 Years |
| Time use for creation of Intangible Assets | : | 02 Years |
| Intangible Assets to be amortized in | : | 18 Years |

Let us assume that the Total revenue to be generated out of Intangible Assets over the Period would be Rs. 600 Crores, in the following manner:-

| Year No. | Revenue (In Rs. Crores) | Remarks |
|---|---|---|
| Year 1 | 5 | Actual |
| Year 2 | 7.5 | Estimate* |
| Year 3 | 10 | Estimate* |
| Year 4 | 12.5 | Estimate* |
| Year 5 | 17.5 | Estimate* |
| Year 6 | 20 | Estimate* |
| Year 7 | 23 | Estimate* |
| Year 8 | 27 | Estimate* |
| Year 9 | 31 | Estimate* |
| Year 10 | 34 | Estimate* |
| Year 11 | 38 | Estimate* |
| Year 12 | 41 | Estimate* |
| Year 13 | 46 | Estimate* |
| Year 14 | 50 | Estimate* |
| Year 15 | 53 | Estimate* |
| Year 16 | 57 | Estimate* |
| Year 17 | 60 | Estimate* |
| Year 18 | 67.5 | Estimate* |
| Total | 600 | |

'*' will be actual at the end of financial year.

Based on this the charge for first year would be Rs. 4.16 Crore (approximately) (i.e. Rs. 5/Rs. 600 X Rs. 500 Crores) which would be charged to profit and loss and 0.83% (i.e. Rs. 4.16 Crore/Rs. 500 Crore X 100) is the amortization rate for the first year."

[F. No. 17/292/2011 CL-V]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

1357 GI/12-2